



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 2573 /SEIAA/23

Date : 19/11/23

प्रति,

श्री राजेश पाठक

आत्मज श्री रामलाल पाठक

निवासी वार्ड क. -15 बैहर रोड बालाघाट (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/295801/2022 - प्रकरण क्रमांक 7186/2020 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट., प्रोप. श्री विजय गोश्वामी निवासी -25 धनहा कॉलोनी महारानी लक्ष्मीबाई, वार्ड जिला सिवनी (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 0.50 हे., उत्पादन क्षमता 6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 283, ग्राम खैरघाट, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश पाठक आत्मज श्री रामलाल पाठक निवासी वार्ड क. -15 बैहर रोड बालाघाट (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा रकबा 0.50 हे., उत्पादन क्षमता 6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 283, ग्राम खैरघाट, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-
 - I. जिला खनिज अधिकारी, जिला सिवनी द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट., प्रोप. श्री विजय गोश्वामी निवासी -25 धनहा कॉलोनी महारानी लक्ष्मीबाई, वार्ड जिला सिवनी (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश पाठक आत्मज श्री रामलाल पाठक निवासी वार्ड क. -15 बैहर रोड बालाघाट (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
 - II. श्री राजेश पाठक आत्मज श्री रामलाल पाठक निवासी वार्ड क. -15 बैहर रोड बालाघाट (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त

खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 1184/एसईआईएए/2020 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1913 दिनांक 21.12.2022 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी आशय पत्र क्र. 1826/खनिज/रेत/2022 दिनांक 18.11.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।
- VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पत्र क्र. 20 दिनांक 09.01.2023 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) द्वारा आवंटित पत्र की प्रति।
- VIII. जिला खनिज अधिकारी, सिवनी द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 13 दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1184/एसईआईएए/2020 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट., प्रोप. श्री विजय गोश्वामी निवासी -25 धनहा कॉलोनी महारानी लक्ष्मीबाई, वार्ड जिला सिवनी (म.प्र.) के नाम पर रेत खदान, रकबा 0.50 हे., उत्पादन क्षमता 6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 283, ग्राम खैरघाट, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश पाठक आत्मज श्री रामलाल पाठक निवासी वार्ड क. -15 बैहर रोड बालाघाट (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.06.2020 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।
- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 10830 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 10000 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 8400 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं

अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

- v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.06.2020 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन प्रथम वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- vi. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
- vii. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित

क्र.. 2574 /SEIAA/2023
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक : 19/11/23

(गिरीश शर्मा)
सदस्य सचिव

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सिवनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सिवनी (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट., प्रोप. श्री विजय गोश्वामी निवासी -25 धनहा कॉलोनी महारानी लक्ष्मीबाई, वार्ड जिला सिवनी (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सिवनी (म.प्र.)।
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी